राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमाक : एफ. 9 (23) ग्रुप–5/2005 जयपुर, दिनांक 14–10–2005

अधिसूचना

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 27) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''राजस्थान राइट टू इन्फॉरमेसन रूल्स, 2005'', जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) उप–खण्ड (1) के असाधारण विशेषांक दिनाक 13–10–2005 में प्रकाशित हुए है, का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे।

2. परिभाषाएँ:– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22), अभिप्रेत है;

(ख) ''आयोग'' से राजस्थान सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. **आवेदन फीस** :– धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के किसी अनुरोध के साथ, समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या [1]**भारतीय पोस्टल ऑडर** के रूप में दस रुपये की आवेदन [2]**फीस दी जायेगी या लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से संदत्त ऐसी फीस की समुचित रसीद दी जायेगी, यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।**

4. **सूचना देने के लिए फीस** :– (1) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट , बैंकर्स चैक [2]**या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से फीस** निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी:–

(क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) सैम्पल या माडल के लिए वास्तविक लागत कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पांच रुपये की फीस।

(2) धारा 7 की उप–धारा (5) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट , बैंकर्स चैक [2]**या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से फीस** निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी :–

1-गृह विभाग की अधिसूचना नं. एफ 9(23)गृह / ग्रुप–5 / 2005 दिनांक 29.07.2006 के आदेश से जोडा गया।

2-प्रशासनिक सुधार (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) विभाग की अधिसूचना नं. एफ 20(84)प्रसु / सूअप्र / 2009 दिनांक 22.08.2019 के आदेश से जोडा गया।

(क) डिस्क या फ्लापी में दी गयी सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लापी पचास रुपये; और

(ख) मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये।

5. **अपील की अन्तर्वस्तु** :– आयोग को की जाने वाली अपील में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :–

(i) अपीलार्थी का नाम और पता;

(ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता;

(iii) संख्यांक और दिनांक सहित आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गयी है;

(iv) अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य ;

(v) प्रार्थना या अनुतोष के आधार;

(vi) अधिनियम या नियमों के उपबंध;

(vii) प्रार्थना या चाहा गया अनुतोष;

(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; और

(ix) कोई भी अन्य सूचना जो आयोग अपील को विनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।

6. **अपील के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज**:–आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंग, अर्थात :–

(i) उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है;

(ii) अपीलार्थी द्वारा अवलम्ब लिये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजो की प्रतिलिपिया; और

(iii) अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

7. **अपील विनिश्चित करने की प्रक्रियाः–** अपील विनिश्चित करते समय आयोग–

(i) सबंधित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथपत्र पर मौखिक और लिखित साक्ष्य पर विचार करेगा;

(ii) दस्तावेजो, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण करेगा;

(iii) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ब्यौरो या तथ्यों की जाँच करेगा;

(iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सुनेगा जिसने प्रथम अपील को विनिश्चित किया है;

(v) अन्य व्यक्ति को सुनेगा; और

(vi) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का विनिश्चय किया है या अन्य व्यक्ति से शपथपत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करेगा।

8. आयोग द्वारा नोटिस की तामीलः– आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जा सकेगा, अर्थात ः–

(i) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करके;

(ii) आदेशिका तामीलकर्ता के जरिए दस्ती परिदान करके;

(iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा।

9. आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना ः– खुली कार्यवाहियों में सुनाया गया आयोग का आदेश लिखित में होगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(वी. एस. सिह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।

2 प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमन्त्री महोदया, राजस्थान ।

3. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

4. समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।

6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

7.निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को असाधारण गजट के दिनाक 12 अक्टूबर, 2005 के असाधारण गजट अंक में प्रकाशन हेतु।

8 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

9. विधि (कॉडिफिकेशन) विभाग।

10 रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Government of Rajasthan
Home (Group-6) Department

No. F.9(23)Home/Group-5/2005 Jaipur, Dated:29-07-2006

Notification

In exercise of the powers conferred by section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Right to Information Rules, 2005; namely:-

1. Short title and commencement.- (1) these rules may be called the Rajasthan Right to Information (Amendment) Rules, 2006.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Amendment of rule 3. – In rules 3 of the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, hereinafter referred to as the said rules, after the existing expression "or bankers cheque" and before the expression "payable to", the expression "or Indian Postal Order" shall be inserted.
3. Amendment of rules 4.- In rule 4 of the said rules,.
   (i) In sub-rule (1), after the existing expression "or bankers cheque" and before the expression "payable to", the expression "or Indian Postal Order" shall be inserted.
   (ii) In sub-rule (2), after the existing expression "or bankers cheque" and before the expression "payable to", the expression "or Indian Postal Order" shall be inserted.

By order of the Governor,
(V.S. Singh)
Principal Secretary to the Govt. Home

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Governor. Rajasthan.
2. Principal Secretary to Chief Minister. Rajasthan.
3. All Principal Secretaries. Rajasthan, Jaipur.
4. All Secretaries, Rajasthan, Jaipur.
5. All Heads of Departments. Rajasthan.
6. PS to Chief Secretary, Rajasthan.
7. Director, Printing & Stationary, Rajasthan, Jaipur for publication in issue of the extra ordinary Gazette dated 29-07-2006.
8. Director, Information & Public Relation Department, Jaipur.
9. Law (codification) Department.
10. Guard File.

(H.S. Bhardwaj)
Dy. Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

एफ 20(84)प्रसु/सूअप्र/2009 जयपुर, दिनांकः 22.08.2019

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.— राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''फीस दी जायेंगी।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''फीस दी जायेगी या लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से संदत्त ऐसी फीस की समुचित रसीद दी जायेगी, यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इजेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नियम 4 का संशोधन.—** उक्त नियमों के नियम 4 में,—

(i) उप—नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप—नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,राजस्थान जयपुर को असाधारण गजट के दिनांक 22.08.2019 के असाधारण गजट अंक में प्रकाशन हेतु।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश चन्द्र माथुर)
शासन उप सचिव